भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .5424

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्सर्जन

5424. श्री आदित्य यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन का संज्ञान लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि देश के परिवहन क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन के कारण जलवायु संबंधी लक्ष्य पर असर पड़ सकता है क्योंकि वर्ष 2070 तक वाहनों की संख्या और ईंधन की मांग में वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के परिवहन क्षेत्र में ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और इसके संभावित वैश्विक प्रभाव हैं, सरकार द्वारा कौन-कौन से निवारक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) 1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकार ने निम्नलिखित प्रमुख पहल की हैं:

(i) सा.का.नि. 889, दिनांक 16.09.2016 के तहत मोटर वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन के उपयोग सहित भारत स्टेज (बीएस) VI उत्सर्जन सीमाएं अधिसूचित की गईं।

(ii) सा.का.नि. 27 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2024 के तहत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए मोनो ईंधन के रूप में ई20 अधिसूचित किया गया।

(iii) सा.का.नि. 885 (अ), दिनांक 16 दिसंबर 2022 के तहत आईसीई बीएस-IV वाहनों के लिए हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में अधिसूचित किया गया।

(iv) सा.का.नि. 720, दिनांक 5 अक्टूबर 2021 के माध्यम से मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के तहत पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति अधिसूचित की गई।

2. सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

(i) का.आ. 5333(अ), 18 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

(ii) सा.का.नि. 525(अ), 2 अगस्त, 2021 के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के उद्देश्य से बैटरी चालित वाहनों को शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

(iii) सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के परमिट शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई।

(iv) सा.का.नि. 167(अ), 1 मार्च, 2019 के माध्यम से वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट की सुविधा के लिए अधिसूचना जारी की गई।

(v) सा.का.नि. 749(अ), 7 अगस्त, 2018 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई, जिससे परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों का पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में करने का प्रावधान किया गया।

(vi) इसके अलावा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 12 अगस्त, 2020 को बगैर बैटरी के दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में एक परामर्शी जारी की गई है।

3. भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं:

(i) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रीवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इंहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को 29 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित की गई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस) 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ई-2पहिया, ई-3पहिया, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह योजना चार्जिंग अवसंरचना के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहायता करती है।

(ii) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु पीएलआई-ऑटो योजना को मंजूरी दी।

(iii) उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई-एसीसी को अनुमोदित किया है। इस योजना में 50 गीगावाट की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(iv) हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना (फेम) योजना चरण- II (फेम-II): फेम-II को 11,500 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम-II के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, इसकी असेंबलियों/उप-असेंबली और कल पुर्जों/उप-पुर्जों का घरेलू विनिर्माण करना था, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हो।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित इस योजना का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों के परिनियोजन में सहायता करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण प्रोत्साहन योजना (एसपीएमईपीसीआई): भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च, 2024 को इस योजना को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और तीसरे वर्ष के अंत में 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए हासिल करना होगा।

*****